

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/

दिनांक:

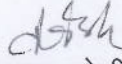
आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 21.07.2014 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से कब तक	
1	2	3	4

सहायक लेखाधिकारी

1	रामसुख गहलोत	14.02.14 से 04.03.14	वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त पाली (राज)
---	--------------	----------------------	--------------------------------------

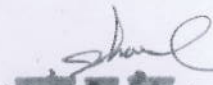

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई)II/ एपीओ/अलेसे-III/ 2950-54

दिनांक: 23-7-14

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त, पाली(राजस्थान) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, जोधपुर
3. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक, (कॉडर) मय अतिरिक्त प्रति निजी पत्रावली हेतु
5. श्री रामसुख गहलोत, सहायक लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, भौतिक सत्यापन दल, सीकर द्वारा- वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त, पाली(राजस्थान) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग /कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
6. निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली


(डॉ अरविन्द मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)